

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-12037 / 3052

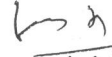
दिनांक :- 24-06-2019

कार्यालय आदेश

सुश्री वर्षा पण्डा कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 30.07.2018 से 03.08.2018 तक कुल (05 दिवस)

उक्त कुल 05 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री वर्षा पण्डा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(वी) अलेसे-III / लिंक नं.-12037 / 3052

दिनांक :- 24-06-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सुश्री वर्षा पण्डा कनिष्ठ लेखाकार लिंक नं.-12037 (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
शिल्पी कौशिक )  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)